न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या मुतफरिक 11/2017 (प्रार्थना पत्र)

1. श्री तिलकेश पिता जमनाप्रसाद जी जोशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री राजनारायण पिता जमनाप्रसाद जी जोशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री हरिशंकर पिता जमना प्रसाद जी जोशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री लीलाधर पिता जमनाप्रसाद जी जोशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी सोहनलाल जी पुरोहित निवासी कुंटवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्रीमती ललिता देवी पत्नी दामोदर जी पुरोहित निवासी नाथुवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जी पालीवाल निवासी–99 तिलक पंथ इन्दौर

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती इन्दु देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री विष्णु पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण वाहन चालक, इनकम टेक्स कॉलोनी सेक्टर–11 हिरणमगरी उदयपुर
3. श्री गोविन्द पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण युनिवर्सिटी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी उदयपुर
4. श्री दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण वाहन चालक इनकम टेक्स कॉलोनी सेक्टर–11 उदयपुर
5. श्री मदन पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

6. श्रीमती लीला (पिता लक्ष्मीनारायण जी) पत्नी चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी बिजलाई, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमती आशा (पिता लक्ष्मीनारायण जी) पत्नी राजेन्द्र जी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्रीमती फूलवन्ती पिता लक्ष्मीनारायण जी पत्नी रविन्द्र जी ब्राह्मण निवासी तिरों का धायला तहसील राजसमन्द
9. श्री इन्द्रधनुष पिता नन्दलाल जी ब्राह्मण निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्री मोहनलाल पिता नन्दलाल जी ब्राह्मण निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा 25 शक्तिनगर लाभ शुभ कम्पलेक्स के पीछे रूपसागर जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री कृष्ण चन्द पिता गोवर्धनलाल जी जोशी जयपुर केलगिरी 2 अस्पताल के सामने मालवीय नगर 53 उषा कॉलोनी जयपुर
12. श्री अंशुमाली पिता गोवर्धनलाल जी जोशी निवासी पंचवटी उदयपुर
13. श्री अजय पिता गोवर्धनलाल जी जोशी निवासी पंचवटी उदयपुर
14. श्री ललित पिता गोवर्धन लाल जी जोशी निवासी पंचवटी उदयपुर
15. श्री विकास पिता मांगीलाल उर्फ चन्द्रप्रकाश जी पालीवाल निवासी विद्यापीठ कार्यालय प्रताप नगर उदयपुर
16. श्रीमती कामिनी पालीवाल बेवा मांगीलाल जी ब्राह्मण निवासी विद्यापीठ कार्यालय प्रताप नगर उदयपुर
17. श्रीमती चन्द्रलेख (पिता लक्ष्मण जी पालीवाल) पत्नी प्रकाश जी पालीवाल निवासी सुन्दरवास उदयपुर
18. श्री रूपलाल पिता जमनालाल पालीवाल निवासी नीमचमाता कॉलोनी करधर निवास प्लाट नंबर 2 उदयपुर
19. श्रीमती नूतन (पिता गोवधनलाल जी) पत्नी जयन्त पुरोहित निवासी मन्डा की सेहरी कांकरोली जिला राजसमन्द
20. श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता जमनाप्रसाद जी जाशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
21. श्री अर्जुन पिता जमनाप्रसाद जी जोशी निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

22. श्री भंवरलाल पिता छगनलाल जी ब्राह्मण निवासी जोशियों की मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
23. श्रीमती कमला (पिता छगनलाल जी) पत्नी पुरूषोतम जी बागौरा निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा

.... रेस्पोन्डेन्ट

मुत0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम–19
सपठित धारा–151 जाब्ता दीवानी विरूद्ध आदेश
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर निर्णय दिनांक दिनांक 29–3–2016
प्रकरण संख्या 285/2007

———————————

उपस्थित :–1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री संजय बोहरा/श्री मनीष शर्मा रेस्पो. सं. 1 से 6 व 8,10
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–24

————/————

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 13–09–2018</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस न्यायालय में अपील संख्या 285/2007 द्वारा इस न्यायालय में पेश किये जाने पर पत्रावली में लम्बे समय से पत्रावली रेस्पोन्डेन्ट की तलबी में चल रही थी। इस दौरान दिनांक 29–3–2016 को अपीलान्ट व अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण तथा वकील रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति के कारण अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गई।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29–3–2016 के विरूद्ध अपील बाजदायरी का आवेदन अन्तर्गत आदेष–41 नियम–19 जाब्ता दीवानी का आवेदन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19–7–2017 को पेश किया। अपीलान्ट आवेदक द्वारा आवेदन के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेष करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थी तिलकेश को पेशी पर भेजते थे। उन्हें हार्ट की बिमारी होने के कारण वे पेशी पर नहीं आ सके तथा अधिवक्ता को भी सुचित नहीं किया। अधिवक्ता भी अन्य न्यायालयों में व्यस्त

होने के कारण पेशी पर हाजीर नहीं हो सके। दिनांक 17–7–2017 को निर्णय की जानकारी होने पर अन्दर मयाद आवेदन पेष किया जा रहा है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया।

अपीलान्ट आवेदक द्वारा आवेदन में भी यही कारण वर्णित करते हुए आवेदन पेश किया। आवेदन के सन्दर्भ में विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8,10 की और से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा एवं मनीष शर्मा ने उपस्थिति दी। शेष विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। आवेदन का जवाब खण्डन का पेश करते हुए कथन किया कि आवेदन सारहीन है। अपील जानबुझ कर अदम हाजरी, में सारहीन होने के कारण खारिज करवाई। आवेदक अपीलान्ट ने नियत अवधि में अपील बाजदायरी का कोई आवेदन पेश नहीं किया। आवेदन के आधार झुंठे व मिथ्या है। इसी प्रकार विपक्षी द्वारा दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन के खण्डन का भी सशपथ पत्र जवाब पेश किया।

हमारे द्वारा इस न्यायालय की मूल अपील पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में मूल अपील दिनांक 29–3–2016 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुई है। बाजदायरी में विहित अवधि 1 माह 28–4–2016 होती है। तद्नुसार यह आवेदन करीब 1 वर्ष 3 माह विलम्ब से पेश हुआ है। इस विलम्ब के लिए आवेदक द्वारा कारण तिलकेश के हार्ट की बिमारी होना बताया है, परन्तु उक्त बिमारी के बाबत् कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार अधिवक्ता की अनुपस्थिति बाबत् अधिवक्ता का शपथ पत्र भी पेश नहीं है। 1 वर्ष 3 माह के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए कोई उचित, पर्याप्त व संतोषजनक आधार नहीं दिये है। जिससे सवा वर्ष के विलम्ब को कण्डोन किया जा सके।

विपक्षी द्वारा निम्नानांकित न्यायियक नजीरें पेश की है :–

1. R R T 2006 (2) Page 1246
2. WLN 2001 (1) Page 720
3. R R T 2001 (2) Page 855

जिसमें यह निर्णित किया गया है कि मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित, पर्याप्त व संतोषजनक आधार होने चाहिए।

इस प्रकरण में अपीलान्ट आवेदक व अधिवक्ता दोनों के लिए जो आधार लिए गये है, वे कदापि उचित व संतोषजनक नहीं है। इन परिस्थितियों में यह आवेदन अवधि बाधित होने से बेरून मयाद होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अवधि बाधित व बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13—09—2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर